


**यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]**

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
5 18	<p>विवरण परमपत्र उपस्थित/राजस्व अपील बाधक बाधक के पर है। अतः पत्रावली पूर्ण दिनांक 23.3.18 को भेज है। तलवाही</p>	<p>तहत पत्रावली खोजान है।</p>
23 18	<p>पत्रावली भेजा है। (अभिमानु उम्पुम् 890) ओष रेखा संख्या- 6 की तालीम हेतु अपी. उम्पुम् सम्पन्न/तलवाही भंडार भेजा है। भेजा करने पर जाती बिसे जाते। पत्रावली वास्तु तलवाही ओष रेखा संख्या- 25.5.18 को भेजा है।</p>	
	<p align="right">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>	
25 18	<p>विवरण परमपत्र उपस्थित/राजस्व अपील बाधक बाधक के पर है। अतः पत्रावली पूर्ण दिनांक 10.8.18 को भेज है। तलवाही</p>	
10 18	<p>विवरण परमपत्र उपस्थित/राजस्व अपील बाधक बाधक के पर है। अतः पत्रावली पूर्ण दिनांक 2.11.18 को भेज है। तलवाही</p>	
16 18	<p>अपी. उम्पुम् द्वारा जारीना- फल प्रस्तुत बिसे जाते पर पत्रावली (आज रेखा पर ली गई) अपी. उम्पुम् द्वारा अपी. सं. 2 हरिसिंह की अ.स.द. प्रस्तुत की गई। अ.स.द. पर अपी. उम्पुम् को भेजा गया। अपी. सं. 2 हरिसिंह की अ.स.द. स्वीकार की जाकर इससे वासिना को रिपोर्ट पर लिए जाने की अनुमति दफ्तन की जाती है। अपी. सं. 2 के वासिना की अपी. से श्री राजेश्वर द्वारा अ.स. के उद्घालना भेजा गया जो वासिना पत्रावली भेजा गया। अपी. उम्पुम् द्वारा फल अन्य जारीना- फल भेजा कर सिद्ध भेजा गया कि उपर अपील के पत्रवाही के अर्थ अपीली राजीनामा है गया है। अतः अपी. उम्पुम् अपील आगे नहीं चलाने वाहने हैं, शतसिद्ध अपील वासिना की जाते।</p>	<p align="right">123 गोशर रेतीराम</p>

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि
अलवर [राज०]**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
	<p align="center">हमने प्रस्तुत शर्चना - पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। - पूर्व अपील प्रकरण के प्रकरणों के अन्तर्गत (आपसी राजीनामा) हो जाने के कारण अपील प्रकरण इसी स्तर पर रखा जा कर निवेदन किया है, एवं सहमति हेतु (आदेशित) पर हस्ताक्षर भी किये जाये हैं। शर्चना - पत्र शामिल पत्रावली किया जाय। अपील प्रकरण अपीलार्थ द्वारा आगे नहीं चलाए जाने के कारण इसी स्तर पर रखा जाय किया जाता है। पत्रावली पेशकश शुभारंभ होकर प्रकरण से बच की जाकर बाद तबकील जाकर दारिद्र्य दफ्तर की आवे।</p>	<p align="right">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>